"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2005—फाल्गुन 20, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2005

क्रमांक ई-7/10/2004/1/2/लीव.—श्री शिवराज सिंह, भा.प्र.से. को दिनांक 15-2-2005 से 18-2-2005 तक (4 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19 एवं 20 फरवरी, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शिवराज सिंह, भा. प्र. से., आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शिवराज सिंह, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवराज सिंह, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2005

क्रमांक 93/30/1/सं./05.—अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को मासिक पेंशन योजना के संबंध में नीति विषयक सुझाव तथा वित्तीय सहायता या वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि की सिफारिश के लिए निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :—

1. माननीय मुख्यमंत्री/मंत्री, संस्कृति छत्तीसगढ़ - अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग - सदस्य
3. सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग - सदस्य
4. सचिव/संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग - सदस्य
5. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व - सदस्य
6. श्री दिनकर केशव भाखरे, शारदा चौक, रायपुर - सदस्य
7. श्री प्रहलाद राय मुसाफिर, सेक्टर-3, देवेन्द्र नगर रायपुर - सदस्य
8. श्रीमती ऋतु वर्मा, पंडवानी गायिका - सदस्य

इस समिति की निम्न कार्यकारी समिति गठित की जाती है. यह समिति मासिक सहायता के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच कर वित्तीय सहायता या वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि की सिफारिशें सीधे शासन को प्रस्तुत करेगी तथा आवश्यकतानुसार सहायता प्राप्त व्यक्तियों के प्रकरणों का पुनरावलोकन करेगी.

1. अपर मुख्य सचिव, संस्कृति - अध्यक्ष
2. सचिव/संयुक्त सचिव, वित्त - सदस्य
3. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व - सदस्य
4. श्री दिनकर केशव भाखरे, शारदा चौक, रायपुर - सदस्य
5. श्री प्रहलाद राय मुसाफिर, सेक्टर-3, देवेन्द्र नगर, रायपुर - सदस्य
6. श्रीमती ऋतु वर्मा, पंडवानी गायिका - सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, विशेष सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2005

फा. क्र. 1178/डी-123/21-ब/छ. ग./05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श उपरांत महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में पदस्थ निम्नलिखित सारणी के क्रमांक (2) में वर्णित विधि पदाधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है :—

क्रमांक (1)	विधि पदाधिकारी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री प्रमोद कुमार वर्मा	अतिरिक्त महाधिवक्ता
2.	श्री प्रशांत मिश्रा	अतिरिक्त महाधिवक्ता
3.	श्री व्ही. व्ही. एस. मूर्ति	उप-महाधिवक्ता
4.	श्री एन. के. अग्रवाल	उप-महाधिवक्ता
5.	श्री विनोद श्रीवास्तव	शासकीय अधिवक्ता
6.	श्री अशीष शुक्ला	शासकीय अधिवक्ता
7.	श्री जे. डी. बाजपेयी	शासकीय अधिवक्ता
8.	श्री यू. एन. एस. देव	शासकीय अधिवक्ता
9.	श्री दशरथ गुप्ता	शासकीय अधिवक्ता
10.	कु. निरुपमा बाजपेयी	उप शासकीय अधिवक्ता

Raipur, the 11th January 2005

F. No. 1178/D-123/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh are pleased to appoint the following Law Officers in appointed Advocats of Advocate General Office, Bilaspur specified in column No. (2) as Public Prosecuter for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date, he has assumed charge of his office :—

S. No. (1)	Name of the Law Officers (2)	Designation (3)
1.	Shri Pramod Verma	Additional Advocate General
2.	Shri Prashant Kumar Mishra	Additional Advocate General
3.	Shri V. V. S. Moorthy	Deputy Advocate General
4.	Shri N. K. Agrawal	Deputy Advocate General
5.	Shri Vinod Shrivastava	Government Advocate
6.	Shri Ashish Shukla	Government Advocate
7.	Shri J. D. Bajpai	Government Advocate
8.	Shri U. N. S. Deo	Government Advocate
9.	Shri Dashrath Gupta	Government Advocate
10.	Ku. Nirupama Bajpai	Deputy Govt. Advocate

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2005

फा. क्र. 1052/डी/297/21-ब/फा. ट्रे. को./छ.ग./05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अजय कुमार पांडे, अधिवक्ता, अंबिकापुर जिला सरगुजा को फास्ट ट्रेक कोर्ट, अंबिकापुर के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि के लिए या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो अवधि पहले आए, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक, अंबिकापुर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 8 फरवरी 2005

प्र. क्र. 2 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	हथलेवा	3.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	गांगीबहरा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 8 फरवरी 2005

प्र. क्र. 3 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	अचानकपुर	0.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	गांगीबहरा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 8 फरवरी 2005

प्र. क्र. 4 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	अचानकपुर	0.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	गांगीबहरा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 8 फरवरी 2005

प्र. क्र. 5 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कोटरा बुंदेली	2.47	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	झाडूटोला जलाशय का नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 8 फरवरी 2005

प्र. क्र. 6 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	झाडूटोला	5.63	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	झाडूटोला जलाशय का नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 5 नवम्बर 2004

क्रमांक 1228/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	गनियारीपाली प. ह. नं. 26	0.41	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छत्तीसगढ़).	सिंगबहाल जलाशय में उलट निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 517/भू-अर्जन/अ.वि.अ./24-अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुंद	खट्टी प. ह. नं. 130	1.75	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	केशवानाला व्यपवर्तन योजनांतर्गत खट्टी माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/1998-99.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	खारीझरिया प. ह. नं. 6	0.836	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोवरसीरी व्यपवर्तन के खारी-झरिया शाखा नहर क्रमांक 1 से 2 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/1998-99.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	केरसई प. ह. नं. 24	5.125	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोवरसीरी व्यपवर्तन के केरसई शाखा नहर चैन क्रमांक 70 से 162 तक के निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 27 अक्टूबर 2004

क्रमांक- क/भू-अर्जन/36.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोरबा प. ह. नं. 4	0.081	कार्यपालन यंत्री, हसदेव बरांज जल प्रबंध संभाग रामपुर/कोरबा.	बायीं तट नहर के अंतर्गत नहर निर्माण एवं बोल्डर पीचिंग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 8 नवम्बर 2004

क्रमांक 1595/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	खुरसुल प. ह. नं. 6	0.10	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट नहर परि-योजना के अंतर्गत मासाभाट डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 नवम्बर 2004

क्रमांक 1595/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	गव्दी प. ह. नं. 6	0.17	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट नहर परियोजना के अंतर्गत मटेवा डिस्ट्रीब्यूटर एवं गव्दी उपमाइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2005

क्रमांक 76/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	बिरझापुर प. ह. नं. 9	5.83	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	अकोली जलाशय.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 जनवरी 2005

क्रमांक 86/ले. पा./भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	औंरी प. ह. नं. 36	3.76	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	औंरी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	घघरा	0.112	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगों नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बासनपाली	0.133	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगों नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बायंग	0.142	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगों नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	भेलवाडीह	0.085	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगों नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	नवागांव	0.077	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगों नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	सोण्डका	0.346	कार्यपालन यंत्री, मिनिमाता बांगों नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2004

क्रमांक/1283/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/11/अ/82-2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	कोदोबतर	2.106	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोदोबतर उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2004

क्रमांक/1284/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/13/अ/82 वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	बाड़ीगांव	8.74	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	गिरसुल व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2004

क्रमांक/1663/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/08/अ/82 वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	काण्डेकेला	2.78	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोटरी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2005

प्र. क्र. 4/अ-82/सन् 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-माहुद, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.83 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1257/1	0.16
1257/4	0.02
1258	0.16
1257/3	0.04
1257/2	0.04
1126	0.10
1251	0.08
1262	0.03
1263/2	0.02
1127	0.12
1123	0.04
1270	0.04
1269	0.12
961	0.04
960	0.05
959	0.04
958	0.04
962/1	0.02
957	0.05
956	0.04
946	0.10
945	0.05
941	0.05
1273	0.15
1272	0.01
1271	0.01
431/2	0.04
1	0.12
योग	1.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2005

प्र. क्र. 5/अ-82/सन् 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-गब्दी, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
82[illegible]/1	0.01
82[illegible]	0.06

(1)	(2)
857	0.08
858	0.02
योग	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2005

प्र. क्र. 6/अ-82/सन् 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-खुरसुल, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
698	0.10
योग 1	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2005

प्र. क्र. 7/अ-82/सन् 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
943	0.12
946	0.06
947	0.04
योग	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2005

प्र. क्र./अ-82/सन् 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-देवसरा, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.62 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
520	0.20
441	0.04
438	0.16
436/13	0.16
436/14	0.08
436/15	0.10
436/17	0.02
436/16	0.08
303/3	0.01
304	0.02
305	0.04
306	0.08
307	0.08
283	0.10
284	0.04
285	0.04
255	0.12
256	0.08
231	0.06
247	0.04
239/3	0.01
240	0.04
241	0.04
234	0.08
232	0.01
233	0.04
176	0.16
180	0.08
108	0.24
105	0.01
104	0.04
103	0.12
442	0.20
योग	2.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2005

प्र. क्र. 9/अ-82/सन् 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-खुर्सीपार, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
548	0.12
550	0.06
551	0.06
586/1	0.01
552	0.06
583	0.04
582	0.08
581/2	0.10
580	0.12
595	0.04

(1)	(2)
577	0.10
575	0.08
योग	0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2005

प्र. क्र. 10/अ-82/सन् 04-05.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-डुड़िया, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
305	0.10
304	0.20
306	0.08
307	0.04
764	0.06
308/3	0.02
766/3	0.03
768/3	0.[illegible]
753	0.04
755	0.01
766/2	0.02
765/3	0.04
785	0.04
786	0.10
787	0.04
789	0.10
790/1	0.04
790/2	0.04
791	0.08
792	0.01
302/1	0.04
300	0.06
301	0.04
309	0.02
310	0.10
311	0.08
312/1	0.12
749/1	0.08
751	0.16
749/2	0.04
181	0.04
180	0.10
179/2	0.01
179/1	0.10
173	0.08
172/1	0.12
170	0.12
161	0.14
14	0.01
35	0.02
योग	2.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2005

प्र. क्र. 11/अ-82/सन् 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-मटेवा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98	0.01
99	0.08
100	0.04
101/1	0.08
101/2	0.01
102/1	0.04
103	0.08
104	0.10
105	0.02
211/1	0.01
211/2	0.02
211/4	0.04
213	0.08
214	0.10
215	0.20
218/1	0.01
216	0.08
238/2	0.15
238/1	0.25
244	0.10
64	0.14
49/1	0.12
754/1	0.06
योग	1.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2005

प्र. क्र. 12/अ-82/सन् 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-गुड़ेला, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.43 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
711	0.16
638	0.12
627/2	0.01
626	0.01
620/4	0.01
619	0.04
614/1	0.08
618	0.08
617	0.06
616	0.08
614/3	0.04
529	0.06
528	0.04
521	0.06
527	0.01
428	0.16
430	0.10
431	0.02
432	0.06
437	0.02
435	0.02
436	0.04
439	0.04
440	0.02

(1)	(2)
467	0.04
468	0.16
710	0.02
709	0.08
705	0.08
702	0.04
679	0.20
704	0.08
701	0.01
684	0.10
677	0.14
676	0.02
691	0.02
690	0.08
115	0.12
99	0.01
114	0.06
104	0.08
105/1	0.08
98	0.06
81	0.04
82	0.08
46	2.94
30	0.44
85	0.04
86	0.10
87	0.04
173	0.10
88	0.01
172	0.08
155	0.02
165/1	0.16
165/2	0.08
296/2	0.10
164	0.01
296/1	0.20
296/3	0.01
615	0.10
योग 53	4.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-गोतमा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.007 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
429/1	0.518
456	0.270
446	0.394
420/3	0.530
422/2	0.206
447/1	0.336
562	0.065
565	0.101
420/4	0.218
447/2	0.182
457/2	0.182
564/3	0.032
559	0.075
454/2	0.093
526/2	0.040
459	0.085
411/1	0.016
504/1	0.153

(1)	(2)
503	0.081
506	0.154
504/2	0.049
560/3	0.085
564/2	0.016
447/4	0.171
453	0.146
420/2	0.316
564/1	0.016
560/2	0.085
447/3	0.198
452	0.101
454/1	0.089
422/1	0.170
505	0.138
507	0.024
564/4	0.032
451/1	0.285
460	0.161
418/1	0.052
419	0.142
योग 39	6.007

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोतमा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-करपीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.235 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
3/3	0.049
2	0.097
1	0.089
योग 3	0.235

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-खरसिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.559 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
208/1	0.036
208/2	0.081
210	0.020
216	0.020
220/12	0.033
362/9	0.049
203/5	0.069
207/2	0.251
योग 8	0.559

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 47/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-भैनापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.161 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
82/1 ख	0.121
634/2	0.040
योग 2	0.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 48/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-चपले
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.934 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
533/5, 534/2, 537/1	0.012
116/13	0.012
116/5	0.004
115/8	0.016
115/6	0.061
731/1	0.061
530/2	0.101
531/3	0.024
281/5	0.024
533/4, 534/1, 534/2, 537/1	0.048

(1)	(2)
532/1 क/24	0.008
532/1 क/14	0.008
532/1 क/15	0.008
521/1 ग/2	0.016
127/1 ख	0.146
749/3	0.016
741	0.072
723/2	0.121
680/6	0.036
521/1 ग	0.016
681/4	0.040
735/7	0.105
योग	0.934

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 52/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बगडेवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/26	0.069
81/3	0.040
योग 2	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 फरवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-रानीसागर + कुनकुनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.332 + 1.278 = 3.610 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम-रानीसागर	
241/2	0.405
241/3	0.360
242/3	0.202
250/4	0.081
249	0.227
250/3	0.162

	250/2	0.061
	250/6	0.709
	250/7	0.125
योग	9	2.332

ग्राम-कुनकुनी

	1222/3	0.259
	1222/5	0.081
	1224, 1225	0.089
	1222/6, 1223 | 1	0.441
	1222/6, 1223 | 3	0.263
	1222/6 1223 | 4	0.105
	1222/7	0.040
योग	7	1.278
कुल योग		3.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 मार्च 2005

प्र. क्र. 140/ अ 82/2003-04/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.175 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	628/3	0.086
	657/2	0.008
	673/2	0.073
	526	0.008
योग	4	0.175

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कलमी माइनर, पोता सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 मार्च 2005

प्र. क्र. 143/अ 82/2003-04/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भडोरा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.476 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
591/2	0.088
629/5	0.138
649/3, 650	0.106
682/4	0.036
682/3	0.020
614	0.016
681	0.008
698	0.040
613/1	0.024
योग	0.476

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भडोरा माइनर-I.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 मार्च 2005

प्र. क्र. 183/अ 82/2003-04/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिरदा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.551 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1315/18	0.032
1016/5, 11	0.048
945/4	0.032
946/2	0.093
1206/6	0.085
1234	0.052
1415/2	0.052
1419/1,1430/2	0.072
1206/7	0.068
1209/2	0.008
1426/3	0.032
1399/2	0.061
1313	0.064
771/6	0.020
784/12	0.004
784/7	0.141
784/19	0.044
1407	0.040
1016/12	0.044
945/5	0.202
1400/2	0.008
959/1	0.036
945/12	0.024
1010/3	0.060
1012	0.081
786/1	0.040
784/8	0.064
1213/13	0.008
776/2	0.036
योग	1.551

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भातमाहुल माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जाँजगीर-चांपा, दिनांक 10 मार्च 2005

प्र. क्र. 186/अ 82/2003-04/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.551 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1220/7	0.061
1220/2	0.024
1220/3	0.040
1222/1	0.089
1093/1	0.061
863/6	0.020
873/7	0.081
1046/3	0.012
1235/1	0.336
1235/6	0.036
1093/12	0.016
1093/4	0.016
874	0.040
1093/7	0.081
1201/1	0.040
908/3	0.040
1219/3	0.020
1220/6	0.101
1202/1	0.020
1235/12 क	0.057
1236/1	0.234
1236/4	0.004
1093/6	0.061
908/10	0.061
योग	1.551

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 मार्च 2005

प्र. क्र. 288/अ 82/2003-04/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सेन्दुरस, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.133 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
523/4	0.113
413/2	0.008
518/1, 2	0.012
योग	0.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-पोता उप वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा दिनांक, 11 फरवरी 2005

संशोधन

क्रमांक 1729/भू-अर्जन/2004.—भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/04-05/1238 दिनांक 3-2-2005 एवं भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/04-05/1236 दिनांक 3-2-2005 छत्तीसगढ़ राजपत्र प्रकाशन दिनांक 4-2-2005 में खसरा नम्बर में आंशिक त्रुटि का प्रकाशन हुआ है.

(1) प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/04-05 पेज नं. 198 में खसरा नं. 344/2 प्रकाशित हुआ है उसे सुधार कर खसरा नं. 244/2 पढ़ा जावे तथा पेज नं. 200 में ख. नं. 393/10 प्रकाशित हुआ है उसे सुधार कर ख. नं. 293/10 पढ़ा जावे.

(2) प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/04-05 पेज नं. 194 में खसरा नं. 292/1 प्रकाशित हुआ है उसे सुधार कर खसरा नं. 392/1 पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2004

क्रमांक क/ख.लि./खुघो/2004.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम (1)	प.ह.नं. (2)	तहसील (3)	ख.नं. (4)	रकबा (5)	अन्य विवरण (6)
बुड़गहन	31	सिमगा	99/2	1.90 ए. निजी भूमि	श्री अशोक रंगलानी को 30-11-95 से 29-11-2000 तक स्वीकृत थी, लीज अवधि समाप्त होने से.
परसापाली	102/30	ब. बाजार	600/1 ख	3.20 ए. शासकीय भूमि	हरिजन पत्थर खदान सहकारी समिति को 27-3-96 से 26-3-2001 तक स्वीकृत थी, खदान समर्पण किये जाने से.
धनसूली	32	तिल्दा	403 का टु.	3.72 ए. निजी भूमि	गीता स्टोन प्रो. गीता प्रितवानी को दिनांक 7-3-99 से 6-3-2004 तक स्वीकृत थी, लीज अवधि समाप्त होने से.

एस. के. जायसवाल,
अपर कलेक्टर.